रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 1973/माघ 23, 1894

No. 34] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 1973/MAGHA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th February 1973

No. Draw Back/PN-6/73.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 3825 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3825	Sanitary and Bathroom water fittings.—	
	(A) Chromium-plated made of gun metal.	At the rate applicable against sub-serial No. 3708.
	(B) Chromium plated made of brass.	At the rate applicable under sub-serial No. 3801(b).

B. N. RANGWANI,
Joint Director (Drawback).

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी 1973

सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन० 6/73.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र० ग्र०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी /पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्रम सं० 3825 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
3825.	शौचालय तथा स्नानागार में पानी के नलों की फिटिंग :—	
	(क) गन मेटल से निर्मित जिन पर क्रोमियम की परत चढ़ी हो ।	उप-क्रम सं० 3708 पर लागू दर ।
	(ख) पीतल से निर्मित जिन पर क्रोमियम की परत चढ़ी हो ।	उपक्रम सं० 3801 के अन्तर्गत लागू दर पर ।

बी० एन० रंगवानी,
संयुक्त निदेशक (प्रतिग्रदायगी)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973